आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
27/09/2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **सर्वे अपील 107 / 09** **मथन कार्जी** **बनाम्** **दुखु महतो व बालेश्वर महतो** **आदेश** सर्वे अपील 107 / 09 मथन कार्जी के द्वारा दुखू महतो व बालेश्वर महतो के विरूद्ध दायर किया गया था, जिसमें बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा पुनरीक्षण वाद 54 / 2008 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रश्नगत वाद में विपक्षी दुखू महतो के तरफ से 01.10.2019 को समय आवेदन दायर किया गया था, पुनः 28.09.2020 को समय की मांग की गई, उक्त तिथि को इस वाद की सुनवाई हेतु 20.10.2020 को निर्धारित की गई। सुनवाई के समय विपक्षी अनुपस्थित रहे। पुनः 28.12.2020 को समय की मांग की गई जिसमें सुनवाई की तिथि 20.10.2020 निर्धारित की गई, जिसमें विपक्षी अनुपस्थित रहे। उक्त तिथि को पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा एक पक्षीय सुनवाई करने का आदेश दिया गया। उक्त तिथि के पश्चात् भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। दिनांक 14.09.2021 को पुनः समय की मांग की गई। अंतिम रूप से सुनवाई हेतु 21.09.2021 की तिथि निर्धारित की गई। उक्त की तिथि में भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक के पक्ष को सुना गया। प्रश्नगत वाद में सोनाहातु अंचल के ग्राम–डिबाडीह, खाता सं 66 / 65, प्लॉट नं 699 के 3.96 एकड़ भूमि सर्वे इन्द्राज का विषय सम्मिलित है। आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत भूमि उनके दादा मूनू कार्जी को वर्ष 70–71 में बन्दोबस्ती से प्राप्त हुआ, तभी से वे उक्त भूमि के दखलकार है तथा लगान भी देते आ रहे है। हाल सर्वे में विपक्षी दुखू महतो एवं बालेश्वर महतो द्वारा कुछ जमीन पर दावा कर बण्डा पर्चा निर्गत कराया गया है। अपीलार्थी के आवेदन पर अंचल अधिकारी सोनाहातु द्वारा भूमि का विधिवत् सीमांकन कराते हुए आवेदकों को उक्त भूमि पर दखल	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	कब्जा दिलाया गया था। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय में भी अमीन का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जिसमें आवेदकों की दखल की सम्पूष्टी हुई। इसके पश्चात् भी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा आवेदकों के नाम से खाता सुधार नही किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदकों को दिया गया दखल तथा उनके बन्दोबस्ती को गौर किये बिना उनके दावे को खारिज कर दिया गया। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का विधिवत् सीमांकन अंचल अधिकारी सोनाहातु के द्वारा किया गया तथा उक्त भूखण्ड से विपक्षी दुखू महतो का दखल हटाकर मथन कार्जी को दखल दिलाया गया। इस सीमांकन प्रतिवेदन में डिवाडीह के ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रमीणों के भी हस्ताक्षर है। अंचल अधिकारी के आवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदकों की बन्दोबस्त भूमि थी। इसके पश्चात भी विपक्षी के पक्ष में 2009 में सर्वे इन्द्राज किया गया, जबकि यह दखल दिहानी 2007 में ही की जा चुकी थी। बन्दोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय में वादी द्वारा दायर किया गया रेन्ट शिडयूल को विश्वासपूर्ण नही मानते हुए सर्वे में संशोधन कराने का दावा अमान्य किया गया किंतु स्थानीय जांच में वादी के दखल को भी मान्यता दी गई। इस प्रकार आवेदक का नाम अवैध दखलकार के रूप में दर्ज किया गया। प्रश्नगत् भूमि अनावाद झारखण्ड सरकार की भूमि है तथा पूर्व में ही विधिवत दखल दिहानी मथन कार्जी के पक्ष में की जा चुकी है। अतः उक्त के आलोक में सर्वे इन्द्राज में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार इस आवेदन को मान्य करते हुए बन्दोबस्त पदाधिकारी को 2007 में किये गये दखल दिहानी के आधार पर सर्वे इन्द्राज कराने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी को प्रेषित की जाय। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त। 27/9/22 आयुक्त। 27/9/22	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.05 13:14:17 +05:30
Location: 192.168.1.40